



## राजस्थान सरकार

### स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर



जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website : www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2024-25 / 2548-2597

दिनांक: 04/04/2024

जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक,  
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना,  
समस्त राजस्थान।

विषय:—लोकसभा चुनाव-2024 मतदान दिवस (19.04.2024 एवं 26.04.2024) को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्यों पर अवकाश रखने बाबत।

संदर्भ:—भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 78 / EPS / 2024 दिनांक 16.03.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 16.03.2024 को लोकसभा आम चुनाव-2024 कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जिसके अनुसार राजस्थान राज्य में मतदान हेतु दो चरणों (प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण) में क्रमशः दिनांक 19.04.2024 एवं 26.04.2024 नियत की गई है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में धारा 135 'ख' (संशोधन अधिनियम संख्या-21/96) में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार आपके जिले/निर्वाचन क्षेत्र में नियत मतदान दिनांक 19.04.2024 / 26.04.2024 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्य पर नियोजित श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश देय होगा।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही हेतु नगरीय निकायो को निर्देशित करने का श्रम करावें।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

(सुरेश कुमार ओला)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

दिनांक: 04/04/2024

क्रमांक: एफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2024-25 / 2598-2854

प्रतिलिपी:—

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT), राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. परियोजना निदेशक (IRGY), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
9. संयुक्त निदेशक (IT), निदेशालय को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रावधान अविलम्ब करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
10. आयुक्त/अधिशापी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, समस्त राजस्थान।
11. स्टेट एमआईएस मैनेजर (IRGY), निदेशालय, जयपुर को IRGY पोर्टल पर अपलोड एवं ईमेल करने बाबत।
12. सुरक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref  
6492803

Document certified by SURESH KUMAR  
OLA <sureshola5788@gmail.com>

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव  
Kumar Ola  
Designation: Director  
Date :04-04-2024 04:04:55